फर्द अहकाम

अशोक सिंह बनाम रामौतार सिंह वगै.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रकरण संख्या .....64...../2025 धा.प्र.नि.

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/01/26	पत्रावली पेश। प्रार्थीगण के तरफ से कोई उपस्थित। न्यायालय द्वारा के द्वारा बार-बार आवाज लगाने के बाद भी प्रार्थीगण के तरफ से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थीगण का धा.प्र.नि. पत्रावली कदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के सब सुमार लेकर दर्ज रजिस्टर के कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)